प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –982 / 2022

अनवान : –

1. फैज मोहम्मद पुत्र सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. इकबाल पुत्र शरीफा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अगुंरा पुत्री शरीफा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. अमतुल सलाम पत्नी मोहम्मद अली सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. फिरोज पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नगीना पुत्री मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. इस्लाम पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

7. अली शेर 8. अली मोहम्मद 9. नजीर मोहम्मद 10. शकुरा 11. जैनम 12. सकीना	पुत्री व पुत्रीया साबरा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

13. अमतुल सलाम पत्नी हाकम अली पुत्र साबरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

14. आरिफ 15. ईमरान 16. आमीर खान 17. शाहरूख खन 18. तस्लीम	पुत्र व पुत्रीया हाकम अली पुत्र शाबरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

19. शरीफा पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

20. रफीक 21. सतार 22. हातम अली 23. जाकिर हुसैन 24. अनवर अली 25. युसफ	पुत्र व पुत्रीया नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासीगण नोहर तहसील नोहर।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

26. रोशन अली | पि0 श्यान मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
27. रूस्तम
28. बशीर खान
29. असलम
30. हुसैन

31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 20.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075 के खाता स0 191 की कुल 0.670 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, असलम का 1/24 हिस्सा, मृतक ने मोहम्मद का 1/4 हिस्सा, मृतक निशा का 1/24 हिस्सा, बशीर खान का 1/24 हिस्सा, रूस्तम का 1/24 हिस्सा, रोशन अली का 1/24 हिस्सा, मृतक सैयद मोहम्मद का 1/24 हिस्सा, हुसैन का 1/24 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में जो सुभान जो वादी का पिता था के नाम दर्ज थी सुभान की मृत्यु के पश्चात वादी की बहिनों शरीफा व साबरा ने अपना समस्त हक हिस्सा का त्याग अपने भाइयों के पक्ष में कर दिया था इसलिए सुभान की मृत्यु के पश्चात वादी व उसके भाईयों ने नेक मोहम्मद व श्यान मोहम्मद व सैयद मोहम्मद चारों के नाम बहिब दर्ज हुई नेक मोहम्मद फोत हो चुके है जिसके जायज वारिस प्रतिवादीगण स0 19 ता 25 है तथा श्यान मोहम्मद फौत हो चुके है जिनके जायज वारिस प्रतिवादीगण स0 26 ता 30 है जिनके नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हो चुका हैं। निशा पत्नी श्यान मोहम्मद फौत हो चुकी है जिनके जायज वारिस प्रतिवादी स0 26 ता 30 है तथा नेक मोहम्मद फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादीगण स0 19 ता 25 है तथा सैयद मोहम्मद खातेदार फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादीगण स0 19 ता 30 तथा वादी है क्योंकि साबरा व शरीफा फौत हो चुकी है अपने जीवन में अपने हक का त्याग कर चुकी थी इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई हक व हिस्सा है अतः न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि सैयद मोहम्मद का 1/4 हिस्सा में वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादीगण स0 19 ता 25 का 1/12 हिस्सा बहिब, प्रतिवादी स0 26 ता 30 का 1/12 हिस्सा बहिब तथा निशा खातेदार फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 25 बहिब 1/4 हिस्सा इस प्रकार से न्याया... इस्तकरार हक कि घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सैयद मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात वादी का सैयद मोहम्मद की 1/4 हिस्सा भूमि 1/3 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 19 ता 25 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 26 ता 30 का 1/3 हिस्सा की घोषणा के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण स0 19 ता 30 के मध्य मुताबिक हक व हिस्सा के रोही मौजा चक सरदारपुरा के ख0न0 880/11 की 0.670 हैक्ट भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा कर लिया है तथा बाद घोषणा इश्तकरार के निम्न प्रकार से खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है– ख0न0 880/11 के उत्तरी पासा की 0.2234 हैक्ट भूमि का वादी को, वादी के चिपते निचे की दक्षिण पासा की 0.2230 हैक्ट भूमि, प्रतिवादी स0 19 ता 25 की प्रतिवादीगण स0 26 ता 30 के दक्षिण पासा की चिपती 0.2233 हैक्ट भूमि हिस्से में आयी इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 30 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी चक सरदारपुरा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 191 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र सैयद मोहम्मद प्रदर्श–2 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र नेक मोहम्मद प्रदर्श–3 ए, परिवार सदस्य प्रमाण पत्र नेक मोहम्मद प्रदर्श– 4 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र हाकम अली प्रदर्श– 5 ए, सदस्य प्रमाण पत्र मोहम्मद अली प्रदर्श– 6 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र सरिफा प्रदर्श– 7 ए, सदस्य प्रमाण पत्र श्यान मोहम्मद प्रदर्श– 8 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र निशा प्रदर्श– 9 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र श्यान मोहम्मद प्रदर्श– 10 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र साबरा प्रदर्श– 11 ए , परिवार सदस्य प्रमाण पत्र साबरा, सरिका व हाकम अली प्रदर्श–12 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 30 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 30 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमा[illegible] 20[illegible] स0 191 की कुल 0.670 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जि[illegible] का 1/4 हिस्सा, असलम का 1/24 हिस्सा, मृतक ने मोहम्मद का 1/4 हिस्सा, मृतक [illegible]शा का 1/24 हिस्सा, बशीर खान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1/24 हिस्सा, रूस्तम का 1/24 हिस्सा, रोशन अली का 1/24 हिस्सा, मृतक सैयद मोहम्मद का 1/24 हिस्सा, हुसैन का 1/24 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 30 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 30 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 191 के खसरा न0 280/11 की 0.670 हैक्ट भूमि में वादी को उत्तर की तरफ 0.2234 हैक्ट भूमि को, प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 30 को वादी की चिपती दक्षिण पासा की 0.2233 हैक्ट भूमि का बहिब के तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 25 की प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 30 की चिपती दक्षिण पासा की 0.2233 हैक्ट भूमि का बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक सैयद मोहम्मद, मृतक निशा, मृतक नेक मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक..20/6/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –982/2022

अनवान : –

1. फैज मोहम्मद पुत्र सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इकबाल पुत्र शरीफा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अगुंरा पुत्री शरीफा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. अमतुल सलाम पत्नी मोहम्मद अली सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. फिरोज पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नगीना पुत्री मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. इस्लाम पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. अली शेर
8. अली मोहम्मद
9. नजीर मोहम्मद
10. शकुरा
11. जैनम
12. सकीना

पुत्री व पुत्रीया साबरा पुत्री सुभान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

13. अमतुल सलाम पत्नी हाकम अली पुत्र साबरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. आरिफ
15. ईमरान
16. आमीर खान
17. शाहरूख खन
18. तस्लीम

पुत्र व पुत्रीया हाकम अली पुत्र शाबरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

19. शरीफा पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. रफीक
21. सतार
22. हातम अली
23. जाकिर हुसैन
24. अनवर अली
25. युसफ

पुत्र व पुत्रीया नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

26. रोशन अली | पि0 श्यान मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
27. रूस्तम
28. बशीर खान
29. असलम
30. हुसैन

31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 982 सन 2022 निर्णय दिनांक 20.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 191 के खसरा न0 280/11 की 0.670 हैक्ट भूमि में वादी को उत्तर की तरफ 0.2234 हैक्ट भूमि को, प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 30 को वादी की चिपती दक्षिण पासा की 0.2233 हैक्ट भूमि का बहिब के तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 25 की प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 30 की चिपती दक्षिण पासा की 0.2233 हैक्ट भूमि का बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक सैयद मोहम्मद, मृतक निशा, मृतक नेक मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...20/6/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested